संख्या– 784 / सत्तर–2–2021–16(11) / 2017 टी.सी.

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2021

विषय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु (शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1018 / सत्तर–2–2020–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 17.11.2020, शासनादेश संख्या–1124 / सत्तर–2–2020–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2020, शासनादेश संख्या–350 / सत्तर–2–2021–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या–403 / सत्तर–2–2021–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 26.03.2021, शासनादेश संख्या–481 / सत्तर–2–2021–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 06.05.2021, शासनादेश संख्या–556 / सत्तर –2–2021–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 14.06.2021 एवं शासनादेश संख्या–625 / सत्तर–2 –2021–16(11) / 2017 टी.सी. दिनांक 28.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 17.11.2020, 31.12.2020, 19.03.2021, 26.03.2021, 06.05.2021, 14.06.2021 एवं 28.06.2021 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021–22 के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक शिक्षा सत्र–2021–22 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु विशेष परिस्थिति में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधित समय–सारिणी निर्धारित की जाती है:–

क0 सं0	कार्यवाही	संशोधित समय–सारणी
1.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	10 अगस्त, 2021 तक।
2.	संस्था द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन हेतु आवेदन किया जाना।	
3.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	
4.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	18 अगस्त, 2021 तक।
5.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	24 अगस्त, 2021 तक।

Draft-2021 (v.)

6.	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	31 अगस्त, 2021 तक।
7.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	06 सितम्बर, 2021 तक।

कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 745(1)/सत्तर–2–2021 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।